उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो

(स्थापना शाखा)

–:सूचना:–

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या– 1348, दिनांक– 13.02.2015 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या– 4871, दिनांक– 20.06.2019 के क्रम में सेवा नियमितीकरण हेतु आवेदन समर्पित किया गया है। उक्त अधिसूचना के अनुसार स्वीकृत बल के विरूद्ध सक्षम प्राधिकार के द्वारा अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों जिनकी सेवा दिनांक– 20.06.2019 को 10 वर्ष की लगातार सेवा हो गई है को नियमितीकरण की कार्रवाई की जानी है। इसी संदर्भ में प्राप्त आवेदन पत्रों का सत्यापन संबंधित कार्यालय प्रधान से आवश्यक है।

अतः आवेदन पत्रों का सत्यापन में आवेदक से संबंधित निम्नलिखित सूचना अंकित करते हुए दिनांक– 05.02.2020 तक निश्चित रूप से जिला स्थापना शाखा, बाकारो को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। 1. नियुक्ति हेतु कार्यालय आदेश, 2. नियुक्ति से संबंधित प्राधिकार का नाम एवं पता, 3. नियुक्ति के समय आवेदक की शैक्षणिक योग्यता, 4. किस तिथि से कार्यरत है तथा वह स्वीकृत बल के विरूद्ध है, 5. आवेदक की जाति, 6. नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का अनुपालन हुआ है अथवा नहीं इस संबंध में नियुक्ति हेतु कार्यालय आदेश एवं आवेदक का जाति प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकार से निर्गत हो को भी प्रेषित किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यदि आपके कार्यालय में कार्यरत कर्मी जो सेवा नियमितीकरण हेतु आर्हत्ता रखते है और उनका नाम छूट गया है तो उनसे आवेदन प्राप्त करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन भी विहित प्रपत्र में दिनांक– 05.02.2020 तक जिला स्थापना शाखा, बोकारो में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

ह० –
उपायुक्त,
बोकारो।

ज्ञापांक 42 /स्था0, दिनांक– 28 / 01 /2020

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि उक्त से संबंधित सूचना जिले के वेवसाइट पर अपलोड किया जाय।

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित कार्यालय प्रधान बोकारो जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उपायुक्त,
बोकारो।

D:\Establishment new\25-01-2020.docx